उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 888–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2021–20 / 2009 टी0सी0– ।। दिनांक: 08 अक्टूबर, 2021

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व) / (पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व) /
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य) / (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम) /
(पारे0प0) / (पारे0म0) / (संचार एवं नियंत्रण) /
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी0एम0यू0टी0) /
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण–प्रथम / द्वितीय) /
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

ई–मेल

विषय: उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त पत्र संख्या–2938–औ0सं0 / 17पाकालि / 2021–02(यू0)ए0एस0 / 18, दिनांक 29.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि संघ ने विभिन्न तिथियों में कार्य बहिष्कार / सार्वजनिक स्वैच्छिक अवकाश / धरना प्रदर्शन / मशाल जुलूस किये जाने का का आह्वान किया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. दिनांक 01.10.2021 से 14.11.2021 जन प्रतिनिधियों के आवास पर धरना देकर कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन दिया जाना।
2. दिनांक 08.10.2021 को जिला मुख्यालयों पर शाम 07:00 बजे से कैंडिल मार्च निकालने।
3. दिनांक 27.10.2021 को जिला मुख्यालयों पर शाम 07:00 बजे से मशाल जुलूस निकालना।
4. दिनांक 15.11.2021 को शक्ति भवन पर विशाल धरना प्रदर्शन।
5. दिनांक 16.11.2021 व 17.11.2021 को सार्वजनिक स्वैच्छिक अवकाश।
6. दिनांक 18.11.2021 से कार्य बहिष्कार एवं सार्वजनिक स्वैच्छिक अवकाश कर 33 / 11 के0वी0 बिजली सबस्टेशनों, उपखण्ड कार्यालयों, खण्ड कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों जोन कार्यालयों, डिस्काम कार्यालयों एवं शक्ति भवन लखनऊ मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन।

आप विदित है कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या–650 / 24–पी–2–20–1(121) / 04 दिनांक 03.07.2021 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गिये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–2003–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2021– 159–ए / 67 दिनांक 17.07.2021 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है। उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा 4, 5, 6 एवं 7 में शास्ति (Penalty) जिसके अन्तर्गत अर्थदण्ड तथा 01 वर्ष तक के कारावास दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

–––2–––

- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929 औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों अनुपालन में "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।

- कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र है। निर्बाद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन का दायित्व हैं। कोविड–19 महामारी के चलते विरोध सभायें आदि किया जाना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अतः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य बहिष्कार आदि को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत की उपलब्धता हो सके तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

आपसे अनुरोध है कि संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य बहिष्कार आदि के दृष्टिगत आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित आन्दोलन में प्रतिभाग नहीं करें।

उपुर्यक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को भी अवगत कराने कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या : 888–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2021 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2938–औ0सं0/17पाकालि/2021–02(यू0)ए0एस0/18 दिनांक 29 सितम्बर, 2021

ई–मेल/स्पीड पोस्ट प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

पंजी0 सं0 [redacted]
पत्रावली सं0 [redacted]

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
आन्दोलन/कार्य बहिष्कार

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पत्र संख्या–25/21 दिनांक 25.09.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संघ ने विभिन्न तिथियों में कार्य बहिष्कार/सार्वजनिक स्वेछिक अवकाश/धरना प्रदर्शन/मशाल जुलूस किये जाने का का आवाह्न किया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. दिनांक 01.10.2021 से 14.11.2021 जन प्रतिनिधियों के आवास पर धरना देकर कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन दिया जाना।
2. दिनांक 08.10.2021 को जिला मुख्यालयों पर शाम 07:00 बजे से कैंडिल मार्च निकालने।
3. दिनांक 27.10.2021 को जिला मुख्यालयों पर शाम 07:00 बजे से मशाल जुलूस निकालाना।
4. दिनांक 15.11.2021 को शक्ति भवन पर विशाल धरना प्रदर्शन।
5. दिनांक 16.11.2021 व 17.11.2021 को सार्वजनिक स्वैछिक अवकाश।
6. दिनांक 18.11.2021 से कार्य बहिष्कार एवं सार्वजनिक स्वैछिक अवकाश कर 33/11 के0वी0 बिजली सबस्टेशनों, उपखण्ड कार्यालयों, खण्ड कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों जोन कार्यालयों, डिस्काम कार्यालयों एवं शक्ति भवन लखनऊ मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन।

आप विदित है कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश सं0–650/24–पी–2–20–1(121)/04 दिनांक 03.07.2021 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–2003–औ0सं0/17/पाकालि/2021–159–ए/67 दिनांक 17.07.2021 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है। उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा 4, 5, 6 एवं 7 में शास्ति (Penalty) जिसके अन्तर्गत अर्थदण्ड तथा 01 वर्ष तक के कारावास दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

- कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नही तो वेतन नही" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।
- कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र है। निर्बाद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन का दायित्व हैं। कोविड–19 महामारी के चलते विरोध सभायें आदि किया जाना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अतः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य–बहिष्कार आदि को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत की उपलब्धता हो सके तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929 औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों अनुपालन में "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।

- कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र है। निर्बाद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन का दायित्व हैं। कोविड–19 महामारी के चलते विरोध सभायें आदि किया जाना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अतः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य बहिष्कार आदि को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत की उपलब्धता हो सके तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

आपसे अनुरोध है कि संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं कार्य बहिष्कार आदि के दृष्टिगत आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित आन्दोलन में प्रतिभाग नहीं करें।

उपुर्यक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को भी अवगत कराने कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या : 888–पारे0अनु0–04/पट्राकालि/2021 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)